संoसंo—7 / बजट—46—58 / 2025—26 — 233 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 07 / 08 / 2026

विषयः— राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018--19 में कुल रु0 515,00,00,000 / — (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026—27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 18,00,00,000 / —(रुपये अठारह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018--19 में कुल रु0 515.00,00,000 / —(रुपये पॉच सौ पन्द्रह करोड) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या 311(1), दिनांक—07.03.2019 द्वारा दी गयी।

2— Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026—27 Under Part-III अतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक—No 44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक—29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रू० 18.00 करोड मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या—No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक—29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तद्क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक—910 / वि0, दिनांक—30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा—निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 18.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3— भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अब तक केन्दाश एवं राज्यांश मद में प्राप्त आवंटनादेश एवं अब तक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एवं निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत् हैः—

क्र०सं०	विभागीय राज्यादेश सं०	केन्द्रांश	राज्यांश
1	सं०—1049(1),दिनांक—09.12.2020	50,25,00,000	6,93,24,500
2	सं०—56(7), दिनांक—03.08 2021	10,00,00,000	6,66,66,600
3	सं०—334(7), दिनांक—28.11.2023	89,75,00,000	25,00,00,000
4	सं०—457(7), दिनाक—30.01.2024		35,20,00,000
5	स०—223(7), दिनाक—18.10 2024		26,20,00,000
कुल आंवटित राशि		**1,50,00,00,000**	**99,99,91,100**
कुल राशि (केंन्द्रांश + राज्यांश)		**2,49,99,91,100**	

4–इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0 एवं दिनांक
1	2024–25	45,00,00,000	सं0– 589(7), दिनांक–28 03.2025
2	2025–26	6,00,00,000	सं0– 279(7), दिनांक–02.09.2025
3	2025–26	10,00,00,000	सं0– 382(7), दिनांक–31.10.2025
4	2025–26	69,00,00,000	सं0– 31(7A), दिनांक–28.01.2026
5	2025–26	70,00,00,000	सं0– 123(7A), दिनांक–20.03.2026
	कुल–	**2,00,00,00,000**	

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बक्सर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 552.02 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 18,00,00,000/–(रुपये अठारह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या–311(1), दिनांक–07.03.2019 में निहित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

7– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजो हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष–53–01–मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि/प्रथम अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632/वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10– वित्त विभागीय पत्रांक–910/वि०, दिनांक–30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 2199/वि0, दिनांक–24.03. 2017 एवं 12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–सं०सं०–7/बजट–46–58/2025–26 के पृष्ठ 8..3/टि0 में प्राप्त है।

14– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस संदर्भ में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7.8.26.

(शम्भु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–7/बजट–46–58/2025–26 – 283(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक–07/08/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, बक्सर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.8.26

सरकार के अपर सचिव।